

बिहार विधान सभा में पूछा जानेवाला अतारांकित प्रश्न

श्री मनोहर प्रसाद सिंह, मा० सं० वि० सं० द्वारा पंचदश विधान सभा के अधिवेशन में पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न सं०-पुन-04 के संबंध में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना

प्रश्न

उत्तर

(1) क्या यह बात सच है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मदारीचक, कमालपुर, लक्ष्मीपुर और बैद्यनाथपुर गाँव के कटाव पीड़ितों के पुनर्वास के लिए आपदा प्रबंधन से भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार के पत्र सं०-484 दिनांक -23.12.2009 द्वारा बीस करोड़ पचहत्तर लाख उनतालीस हजार सात सौ सतासी रू० की अधियाचना की गई है;

स्वीकारात्मक है ।

(2) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, कटिहार ने पत्र सं०-04/आ०प्र० दिनांक -04.01.2010 द्वारा भू-अर्जन पदाधिकारी के पत्र को अग्रसारित किया गया है;

स्वीकारात्मक है ।

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार भू-अर्जन के याचित राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक और नहीं तो क्यों ?

कंडिका 2 एवं 3 में वर्णित पत्र के परिपेक्ष्य में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक -463 दि०-22.02.2010 द्वारा संसूचित किया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना सं०-1292/रा० दि०-05.06.2007 के आलोक में जिला समाहर्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त को क्रमशः 50.00 लाख रू० एवं 1.50 करोड़ रू० तक प्रतिकर अधिनिर्णित करने की शक्ति प्राप्त है । साथ ही साथ यह भी निदेश दिया गया है कि विभागीय संकल्प सं०-2156/सा०पु० दि०-16.08.2003 में दिये गए दिशानिर्देश के आलोक में बी०पी०एल० एवं ए०पी०एल० की संख्या का उल्लेख करते हुए अलग-अलग पुनर्वास योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाय एवं गणना विवरणी के साथ वांछित आवंटन की मांग की जाय । तदनुसार जिला पदा०, कटिहार के पत्रांक -1022 एवं 1023 /आ०प्र० दिनांक -06.11.2012 के द्वारा अभिलेख सं०-01 एवं 02/12-13 आयुक्त पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को अनुशंसा के साथ आवंटन के लिए विभाग को भेजने हेतु अनुरोध किया गया था, परंतु उक्त अभिलेख पुनः अपने पत्रांक -3852 दि०-24.12.2012 के द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु वापस कर दिया गया है, जिसे जिला पदा०, कटिहार के पत्रांक -49/आ०प्र० दिनांक -21.01.2013 द्वारा अनुमंडल /अंचल पदाधिकारी, मनिहारी को भेजी जा चुकी है, उनके द्वारा त्रुटि रहित करने की कार्रवाई की जा रही है ।

कृ०पृ०३०

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04 / वि0स0अता0प्र0-71 / 2011 / / आ0प्र0 दिनांक -

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक -3404 दि0-13.04.2011 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में / उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

वि0का0पदा0 / सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -04 / वि0स0अता0प्र0-71 / 2011 / ²⁵⁸⁶ / आ0प्र0 दिनांक - 29/6/13.

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

वि0का0पदा0 / सरकार के अवर सचिव

13.